



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102026-276807
CG-DL-E-05102026-276807

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 590]
No. 590]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2026/आश्विन 7, 1948
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2026/ASVINA 7, 1948

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितंबर, 2026

फा.सं. विगन पर विशेषज्ञ समिति- पहली बैठक.— जबकि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अधीन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या फा. सं. विगन पर विशेषज्ञ समिति- पहली बैठक, तारीख 28 फरवरी, 2025 द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (विगन खाद्य) संशोधन विनियम, 2025 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी, जिसमें उससे प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां 4 मार्च, 2025 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और जबकि उक्त प्रारूप विनियमों पर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है;

अतः अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से खाद्य सुरक्षा और मानक (वेगन फूड) विनियम, 2022 निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (वेगन फूड) दूसरा संशोधन विनियम, 2026 है।
(2) ये तारीख 1 अप्रैल, 2027 से प्रवृत्त होंगे।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (वेगन फूड) विनियम, 2022 में, –
 - (a) विनियम 5 के उप-विनियम 3 में, “प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप” शब्दों को “इन विनियमों के प्रारूप-1” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (b) विनियम 5 के बाद निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा-

प्रारूप – I

निर्यातक देश के मान्यता प्राप्त प्राधिकारी* द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र

(विनियम 5 के उप-विनियम 3 को देखें)

[खाद्य सुरक्षा और मानक (वेगन फूड) विनियम, 2022 के अनुसार वेगन लोगो पुष्टि हेतु आवेदन करने वाले उत्पादों के लिए]

प्रेषण करने वाला देश	
1. प्रेषक/ निर्यातक नाम पता	2. प्रमाणपत्र संख्या 3. निर्यातक देश के मान्यता प्राप्त प्राधिकारी का नाम और उनका संपर्क संबंधी विवरण :
4. प्राप्तकर्ता / आयातक : नाम पता	
5. मूल देश जहाँ माल तैयार हुआ है :	
6. गंतव्य देश	
7. परिवहन/ भंडारण की शर्तें जिनका पालन किया जाना आवश्यक है	
8. उत्पाद संबंधी विवरण	
क. उत्पादों के नाम (खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन के अनुसार निकटतम खाद्य श्रेणी)	

ख. उत्पादक/ विनिर्माता (नाम और पता)	
ग. लॉट सं. / बैच सं.	
घ. निवल भार :	
ड. युनिट/ पैकेज की संख्या	
च. पैकेजिंग का प्रकार	
छ. उत्पादन/ पैकेजिंग की तारीख	
ज. समाप्ति तिथि (यदि प्रयोज्य हो तो)	
9. उत्पादन की संरचना	10. अपेक्षित प्रयोजन
11. क्या गंतव्य देश में उत्पाद की रिपैकिंग व रिलेबलिंग की जानी है - क. यदि हाँ, तो निरीक्षण संबंधी निकासी के लिए प्रांगण परिसर का विवरण उपलब्ध कराएँ	हाँ / नहीं
12. घोषणापत्र अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी प्रमाणित करता है कि ऊपर वर्णित उत्पाद निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं: क. खाद्य उत्पाद (उत्पादों) में सुरक्षा मूल्यांकन सहित किसी भी उद्देश्य के लिए कोई पशु परीक्षण शामिल नहीं है जब तक कि किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रदान नहीं किया गया हो। ख. नॉन-वेगन उत्पादों की अनेपक्षित उपस्थिति को रोकने के लिए उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण के चरणों को अच्छी विनिर्माण प्रथाओं के अनुरूप उचित सावधानियों के साथ डिजाइन किया गया है। ग. वेगन और नॉन वेगन कच्चे माल को अलग – अलग संग्रहित किया जाता है। उपरोक्त कंपनी की उत्पादन सीमा नॉन वेगन उत्पादों या सामग्रियों से अलग है। घ. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शाकाहारी उत्पादों का उत्पादन शुरू होने से पहले सभी संबंधित मशीनरी, उपकरण, बर्तन और सतहों के लिए अच्छी विनिर्माण प्रथाओं के अनुरूप पूरी तरह से सफाई या तुलनीय उपाय किए गए हैं। ड. उत्पादों और उनके स्रोत का पता लगाने की क्षमता स्थापित की गई है।	
13. प्राधिकृत अधिकारी :	
नाम:	पदनाम:
दिनांक :	हस्ताक्षर :
अधिकारिक मुहर:	

*निर्यातक देश में वेगन खाद्य पदार्थों का नियामक प्राधिकरण (या) मान्यता प्राप्त निकाय (या) मान्यता प्राप्त तृतीय पक्ष प्रमाणित निकाय

राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./359/2026-27]

टिप्पण : खाद्य सुरक्षा और मानक (वेगन फूड) विनियम, 2022 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में, अधिसूचना संख्या फा.सं. मानक/टीएफ-वेगन फूड्स/नोटिफिकेशन/एफएसएसएआई तारीख 10 जून 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या फा. सं. एस-एस-टी0टी1(नोटि)/1/2025-मानक-एफएसएसएआई तारीख 21 मई 2026 माध्यम से किया गया।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2026

F. No. ExpertcommitteeonVegan-1stmeeting.— Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Vegan Foods) Amendment Regulations, 2025 were published, as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) (herein after referred to as the said Act) vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F.No. ExpertcommitteeonVegan-1stmeeting, dated the 28th February, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4, inviting objections or suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 4th March, 2025;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 92 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Vegan Foods) Regulations, 2022, namely:

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Vegan Foods) Second Amendment Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on 1st April, 2027.

2. In the Food Safety and Standards (Vegan Foods) Regulations, 2022, –

(a) in regulation 5, in sub-regulation (3), for the words “the format as specified by the authority is accepted”, the

words and figures “Form-I of these regulations” shall be substituted.

(b) after regulation 5, the following shall be inserted, namely: -

FORM – I
Certificate to be issued by the recognised authority* of the exporting country

(See sub-regulation 3 of Regulation 5)

[For products applied for Vegan logo endorsement as per Food Safety and Standards (Vegan Foods) Regulations, 2022]

Country of dispatch	
1. Consignor/Exporter Name Address	2. Certificate number 3. Recognised Authority of the exporting Country and its contact details:
4. Consignee/Importer: Name Address	
5. Country of origin:	
6. Country of destination	
7. Conditions for transport/storage to be maintained	
8. Product Description	
(a) Name of the product/s (Nearest food category as per Food Safety and Standards Regulations)	
(b) Producer/manufacturer(name and address)	
(c) Lot no./Batch no.	
(d) Net weight:	
(e) No. of unit/packages	
(f) Type of packaging	
(g) Date of manufacture/packaging	
(h) Date of expiry (If applicable)	
9. Product composition	10. Intended purpose
11 Whether the product is meant for repacking or relabeling in destination country. If Yes, then details of premises for Inspection clearance.	YES/NO

12. Declarations

The undersigned Authorised Official certifies that the product(s) described above satisfies the following requirements:

- (a) The food products have not involved any animal testing for any purpose including safety evaluation, unless provided by any Regulatory Authority.
- (b) The stages of production, processing, and distribution are designed with appropriate precautions in conformity with good manufacturing practices to avoid the unintended presence of non-vegan substances.
- (c) Vegan and non-vegan raw materials are stored separately. The production line of the above company is separate from non-vegan products or ingredients.
- (d) If not separate thorough cleaning or comparable measures in conformity with good manufacturing practices have been carried out before production of vegan products commences and also for all associated machinery, equipment, utensils, and surfaces.
- (e) Backward traceability of ingredients and their source is established.

13. Authorised official:	
Name:	Designation:
Date:	Signature:
Official stamp:	

* *Regulatory Authority or Recognised accreditation body or Recognised third party certifying body of Vegan Foods in the exporting country.*

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./359/2026-27]

Note: The Food Safety and Standards (Vegan Foods) Regulations, 2022, were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4, *vide* notification number F. No. Std/TF-Vegan Foods/Notif./FSSAI, dated the 10th June 2022 and was last amended *vide* notification number F. No. SS-T0T1(NOTI)/1/2025-Standard-FSSAI, dated the 21st May 2026.